

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।  
समस्त कर्मचारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर  
जिला औषधि नियंत्रण संगठन (जरिये सहायक औषधि नियंत्रक)  
समस्त औषधि विक्रेता, राजस्थान जरिये  
राजस्थान केमिस्ट एसोसियेशन एवं जिला केमिस्ट एसोसियेशन।

विषय:- खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने बाबत।

संदर्भ:- संगठन का पत्र क्रमांक डीसी/ए-2/2018/598 दिनांक 18.12.2018 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा दिनांक 26.12.2018 को उनके कक्ष में की गई समीक्षा के क्रम में जारी संगठन का पत्रांक 620 दिनांक 27.12.2018 एवं पत्रांक डीसी/ए-2/2019/30 दिनांक 15.01.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन किये जाने बाबत संगठन द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्देशित किया गया था

राजस्थान फार्मसी काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के रजिट्रेशन प्रमाण पत्रों/रजिट्रेशन प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण का कार्य बाधित है एवं इसके संबंध में माननीय न्यायालय में आगामी तारीख 05.02.2019 है। संगठन की ऑन लाईन लाईसेन्सिंग प्रक्रिया रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के संबंध में राजस्थान फार्मसी काउंसिल से लिंक की हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि संबंधित औषधि विक्रेताओं/रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों को उपयुक्त समय प्रदान किया जाना उचित प्रतीत है।

अतः खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने की समय सीमा को दिनांक 31.01.2019 से बढ़ाकर दिनांक 15.02.2019 किया जाता है एवं यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 15.02.2019 तक समस्त ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन कर दिया जावे। यह भी विदित हो कि संगठन स्तर पर समीक्षा कर कार्य पूर्ण ना करने वाले/कार्य पूर्ण ना करने में शिथिलता बरतने वाले जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के द्वारा आगामी तारीख में ली जाने वाली समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के लिये बुलाया जावेगा।

उल्लेखनीय है कि यदि कोई औषधि विक्रेता दिनांक 15.02.2019 से पूर्व खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन नहीं कराता है तो उनके औषधि अनुज्ञापत्र के निरस्त/निलम्बन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। तथा इस कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के स्तर से पाई जावेगी तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किये जावेंगे।

80

(अजय फाटक)

औषधि नियंत्रक

राज0 जयपुर

दिनांक: 31/01/2019

क्रमांक : डीसी/ए-2/2019/ 78

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक- प्रथम, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये संबंधितों को ई-मेल करावें।
4. अध्यक्ष एवं सचिव राजस्थान केमिस्ट एसोसियेशन, जयपुर / समस्त जिला केमिस्ट एसोसियेशन, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के संबंध में जिले के अधिकारियों को यथा सहयोग प्रदान करें एवं अपने स्तर से सभी केमिस्टों को औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के लिये SSO ID Create करते हुये संबंधित दस्तावेज/जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित करें, जिसके लिये ई-मित्र कियोस्क की सहायता भी ली जा सकती है।
5. समस्त औषधि विक्रय सी एण्ड एफ/डिपो/डिस्ट्रिब्यूटर्स, राजस्थान।

(अजय फाटक)

औषधि नियंत्रक

राज0 जयपुर